न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 21/16 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2016/00089)

चौथी पुत्र श्री नथुआ जाति जाटव निवासी मैनापुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

1. शकुन्तला पुत्री भरोसी पत्नी जीवन जाति जाटव निवासी सिकन्दरपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
2. चन्दा पुत्री भरोसी पत्नी हरीलाल जाति जाटव निवासी सिकन्दरपुर तहसील हिण्डौनसिटी करौली।
3. तहसीलदार तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 16.9.2015 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 550 दिनांक 8.11.2013 वाकै ग्राम खेडली ब्राहमण पटवार हल्का मैनापुरा तहसील भुसावर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपस्थितिः–

1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 11.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.9.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर द्वारा विरासतन नामान्तरकरण संख्या 550 वाकै ग्राम खेडली ब्राहमण पटवार हल्का मैनापुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर मृतक इतबाई वेवा भरोसी के स्थान पर वहक शकुन्तला एवं चन्दा खातेदार दर्ज कर तस्दीक किया गया। इस नामान्तरकरण को अपीलान्ट चौथी द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.9.2015 परित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 8.11.213 को यथावत रखा गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 16.9.2015 के खिलाफ यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। मुत्हत पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

12/9/2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों तथा लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2015 व तहसीलदार भुसावर की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 550 दिनांक 08.11.2013 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम खेडली ब्राहमण तहसील भुसावर में स्थित है उक्त आराजी मुत0 इतवाई बेवा भरोसी जाति जाटव निवासी मैनापुरा की खातेदारी काश्तकारी की रही है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट इतवाई के जीवनकाल से ही काश्त करती चली आ रही थी। मु0 इतवाई अपीलान्ट के परिवार की सदस्य थी, जिसका सजरा निम्न प्रकार है :–

करई (माता)

|

|————————————————————————|

भरोसी पुत्र फूसिया — चौथी पुत्र कलुआ

| ——————— |——————— |

इतवाई (फौत) पत्नी — शकुन्ताल पुत्री — चन्दा पुत्री

करई का पुत्र भरोसी जाटव व अपीलान्ट सगे भाई थे। जिसमें भरोसी की जवानी में ही मृत्यु हो गई थी, जो अपने पीछे अपनी पत्नी इतवाई व रैस्पो0 संख्या 1 व 2 को नाबालिग अवस्था में ही छोडकर चल बसा था। स्व0 इतवाई एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का लालन पालन व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की शादी विवाह व भात जामने की व्यवस्था अपीलान्ट के द्वारा ही की गई थी तथा वर्तमान में भी अपीलान्ट ही इतवाई की सेवा करता चला आ रहा है। मुस्माद इतवाई जो कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की माता है, के द्वारा अपीलान्ट की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की माता इतवाई ने अपीलान्ट के हक में एक वसीयतनामा तारीख 7.11.2005 को तहरीर कराकर अपना व अपीलान्ट का फोटो चस्पा करते हुये गवाहन के समक्ष अपनी अंगूठा निशानी करते हुये अपीलान्ट के हस्ताक्षर कराए थे जो कि नोटिरी पब्लिक से विधि अनुसार तस्दीक भी कराया गया था। इस वसीयतनामें में मु0 इतवाई ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति तथा आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम खेडली ब्राहमण को तहसील भुसावर को अपीलान्ट के हक में वसीयत करा दी थी। उक्त खसरा नम्बर 28 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा मु0 इतवाई की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। जिसका वसीयत नामा कराने का मु0 इतवाई को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। मु0 इतवाई की मृत्यु से पूर्व व बाद में भी अपीलान्ट का उक्त रकबा पर कब्जा काश्त है। जिसके संबंध में तहसीलदार भुसावर ने दिनांक 8.11.2013 को विवादित भूमि के संबंध में नामान्तकरण दाखिल खारिज संख्या 550 गैर कानूनी रूप से रैस्पोडेन्ट के पक्ष में चढा दिया गया। इसकी जानकारी रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 5.1.2014 को अपीलान्ट को मौके पर देते हुए कहा गया कि हमने उक्त विवादित आराजी वाकै गाम खेडली ब्राहमण का दाखिल खारिज अपने हक में दर्ज करा लिया है। इस आधार पर अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकी दी गई। इस पर अपीलान्ट ने नकल हेतु दिनांक 6.1.2014 को प्रार्थना पत्र पेश किया और दिनांक 7.1.2014 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही जानकारी की तिथि से अन्दर

मियाद अदालत हाजा में अपील पेश कर दी गई है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अदालत मातहत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर निर्णित नहीं कर खारिज करने में कानूनी भूल की है। न तो विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर न ही तहसीलदार भुसावर ने मृतक इतबाई के विरासत के नामान्तकरण के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच इस संबंध में नहीं की गई कि इतबाई निंवसीयत मरी थी या वसीयत निष्पादित करने के बाद मरी थी। मृतक इतबाई के रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अलावा कोई पुरूष संतान नहीं थी। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 भी शादी के बाद अपने ससुराल में रहती है। मृतक इतबाई ने स्वअर्जित विवादित आराजी अपने देवर अपीलान्ट चौथी को मृत्यु से पूर्व दिनांक 07.11.2005 को निष्पादित कर दी थी। इतबाई की मृत्यु के बाद विवादित खसरा नंबर 28 का अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खोला जाना आवश्यक था, जो कि गलत रूप से रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में खोला गया। इतबाई की मृत्यु दिनांक 02.06.2013 के बाद जो विरासत का नामान्तकरण खोला गया है, वह नामान्तकरण नायब तहसीलदार की ओर से खोला गया है। जबकि नामान्तकरण खोले जाने के 45 दिन तक नामान्तकरण तस्दीक करने की क्षेत्राधिकारिता ग्राम पंचायत में निहित है। वसीयत के संबंध में यदि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया गया हो तो भी वसीयत को संदिग्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को गलत नहीं माना गया है और न ही वसीयत को गलत ठहराए जाने के संबंध में रैस्पोडेन्ट द्वारा दीवानी न्यायालय में कोई कार्यवाही की गई है। वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी 2005 पेज 85 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवादक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए उचित संस्थान में घोषणा का दावा करना चाहिए। इसके बाबजूद अदालत मातहत में रैस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किए जाने का गलत आदेश पारित किया है तथा इस आदेश को विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2015 में यथावत रखा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2015 व नामान्तकरण संख्या 550 दिनांक 08.11.2013 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि खसरा नंबर 28 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम खेड़ली ब्राह्मण तहसील भुसावर का नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णयों संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 12.05.2016 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु के संबंधी में निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.04.2016 को अभिभाषक की ओर से दिए जाने पर होने के बाद निर्णय की नकल प्राप्त होने के जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किए जाने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया गया और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक की पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2015 में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के अभिभाषकगण की ओर से बहस में वर्णित तथ्यों का पूर्ण हवाला देने के बाद गुणावगुण पर प्रकरण को निर्णित किया है, जिसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार कर देरी को माफ करते हुए यह अभिमत दिया है कि मृतक इतबाई बेवा भरोसी के फोत होने पर विरासतन रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 पुत्रियान के हक में नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा भी रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को मृतक की पुत्रियां होना स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट की ओर से जिस वसीयत दिनांक 07.11.2005 के आधार पर अपना स्वत्व मृतक की आराजी पर होना जाहिर किया गया है। उसके संबंध में उल्लेख किया गया है कि इसके बारे में आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक सूक्ष्म कार्यवाही है, जिसमें अपीलान्ट के स्वत्व अधिकार तय नहीं किए जा सकते हैं। मृतक इतबाई की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत के सही होने या नहीं होने के तथ्य को नामान्तकरण की अपील में तय नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अपीलान्ट अपने स्वत्व अधिकार नियमित वाद में तय कराने हेतु स्वतंत्र रहता है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 550 जो कि दिनांक 08.11.2013 को स्वीकृत किया गया है, के मृतक इतबाई की विधिक उत्तराधिकारी पुत्रियों के हक में किए जाने के कारण किसी प्रकार की कोई अनियमितता होना नहीं मानकर अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जो कि उचित है। विद्वान वकील अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस के साथ प्रस्तुत नजीर आर. आर.डी 2005 पेज 85 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त भी इस संबंध में उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार यह माना गया है कि नामान्तकरण की संक्षिप्त

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व स्थापित करने के लिए उचित संस्थान में घोषणा का दावा करना चाहिए। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 550 दिनांक 08.11.2013 को निरस्त कर वसीयत के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाने की इस्तदुआ की गई है, जो कि उपरोक्त नजीर में वर्णित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है, जिसके अनुसार नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं है। इसके अलावा भी पटवारी हल्का द्वारा विवादित भूमि की खातेदार इतबाई की मृत्यु दिनांक 02.05.2013 को होने पर तहसीलदार के आदेश दिनांक 24.10.2013 की पालना में नामान्तकरण संख्या 550 खोला गया है। जिसकी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच किए जाने के बाद उक्त नामान्तकरण दिनांक 08.11.2013 को स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट की ओर से यदि पटवारी हल्का या तहसीलदार के समक्ष उसके पक्ष में खातेदार द्वारा की गई तथाकथित वसीयत प्रस्तुत की जाती और इसके बाद भी यदि नामान्तकरण रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक किया जाता तो अपीलान्ट की ओर से की गई आपत्ति उचित थी, परन्तु उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किए जाने से पूर्व अपीलान्ट की ओर से उसके पक्ष में की गई वसीयत पटवारी हल्का या तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, के संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं की गई है। अतः तहसीलदार भुसावर की ओर से स्वीकृत किए गए नामान्तकरण संख्या 550 दिनांक 08.11.2013 में किसी तरह की कोई विधिक अनियमितता प्रमाणित नहीं होने के कारण उक्त नामान्तकरण को यथावत रखे जाने के संबंध में अदालत मातहत की ओर से दिया गया अभिमत उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित दिनांक 16.09.2015 व तहसीलदार भुसावर की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 550 दिनांक 08.11.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर